न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 179/2017 एल.आर. एक्ट

1. मैसर्स राजस्थाना ग्लू एण्ड कैमिकल्स, हनुमानगढ़ टाऊन जरिये प्रोपराईटर जगदीश चन्द्र पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जगदीशचन्द्र पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जाट निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अपीलान्ट्

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र स्व. श्री दूदाराम जाति जाट निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत कोहला जरिये सरंपच ग्राम पंचायत कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार(राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री राजकुमार व्यास – अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक रेस्पो नं. 1
3. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 13–09–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 09–05–2016 के विरूद्ध पेश हुई है जिसका सार यह है

कि अपीलांट नें विक्रय पत्र दिनांक 22.05.78 के आधार पर चक 14 एसएसडब्ल्यु की प्रश्न गत विवादित भूमि के संबंध में स्व. दूदाराम के वारिसान के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 92/2007 शीर्षक "मैसर्स राजस्थान ग्लू एण्ड कैमिकल्स बनाम कृष्णलाल आदि" न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तर्गत धारा 88–188व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया हुआ है। इस वाद पत्र में अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विविध राजस्व संख्या 73/2007 शीर्षक "मैसर्स राजस्थान ग्लू एण्ड कैमिकल्स बनाम कृष्णलाल आदि" प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि के संबंध में मौका व रिकार्ड की स्थिति

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

यथावत रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जो प्रभावशील है। रेस्पोडेंट संख्या 1 नो यह जानते हुए कि स्व. दूदाराम पुत्र जीवणराम के नाम दर्ज 0.506 हैक्टेयर भूमि अपीलांट को विक्रय की हुई तथा इस भूमि के संबंध में राजस्व वाद जैरकार है तथा स्थगन आदेश भी प्रभावशील है, दिनांक 11.01.2010 को उक्त भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाकर एवं स्व. दूदाराम के अन्य वारिसान से अपने पक्ष में दस्तावेज दस्बरदारियों का निष्पादन करवाकर अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 637–712–743 के जरिये स्व. दूदाराम के नाम दर्ज 0.506 हैक्टेयर भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील दिनाक 09.05.2016 को खारिज फरमाई है। अपीलांट उक्त आदेश व अधीनस्थ न्यायालय के उक्त वर्शित इन्तकाल संख्या 637 दिनांक 11.01.2010, इन्तकाल संख्या 712 दिनांक 21.02.2011 व इन्तकाल संख्या 743 दिनांक 20.01.2012 को चुनौती देते हुये यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रश्नगत 02 बीघा भूमि स्व. श्री दूदाराम ने अपीलांट संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.05.1978 विक्रय की हुई थी। उक्त 02 बीघा भूमि जो राजस्व अभिलेख में स्व. दूदाराम के नाम दर्ज थी परन्तु उसमें श्री दूदाराम के वारिसान का कोई हित नीहित नहीं था। यही नहीं अपितु उक्त बैयनामा के आधार पर अपीलांट की ओर से नियमित राजस्व वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन था तथा इस वाद में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने के आदेश प्रभावशील थें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

2. रेस्पोडेंट ने एक साथ ही तीन नामान्तरकरणों के विरूद्व एक ही अपील पेश करने तथा उक्त आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं करने पर अपील की संधारणीयता पर प्राथमिक आपत्ति पेश की।

अपील मिमो को पढ़ने से सार यह है कि अपील अतिरिक्त कलक्टर, हनुमानगढ़ के आदेश दिनाक 9.5.2016 के विरूद्व है तथा उक्त आदेश रेस्पोडेंट द्वारा वर्णित तीनों इन्तकाल आदेशों के संदर्भ में जारी किया गया है। अतः प्रत्येक नामान्तरकरण की अलग अपील नहीं मानी जायेगी तथा न ही प्रत्येक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता है। अतः तकनीकी आपत्ति खारिज की जाती है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रथम अपील न्यायालय ने वाद विचाराधीन रहने के दौरान विवादित भूमि के खातेदारों के विरासतन इन्तकाल को स्वीकृत करना विधि सम्मत माना है। अपीलांट्स का कथन है कि विवादित भूमि का कुछ हिस्सा दिनांक 22.5.1978 को उनके द्वारा खरीद किया हुआ है, जब तक उक्त हिस्से के खातेदारी अधिकारों की धोषणा नहीं हो जाती राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का रद्दोबदल नहीं होना चाहिये। अपीलांट्स का दावा केवल 2 बीघा हिस्से का है तथा मामला 40 साल पुराना है। उक्त 2 बीघा के लिये शेष खातेदारों के चालू राजस्व रिकार्ड को अपडेट करने तथा भूमि के उपयोग के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस न्यायालय में वाद विचाराधीन है, रिकार्ड की यथास्थिति की निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। जब तक इस प्रकार की रोक नहीं हो सहखातेदारों के विरासतन नामान्तरकरणों पर रोक लगाने या ऐसे नामान्तरकरणों को शून्य धोषित करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

3. प्रथम अपील न्यायालय ने अपने निष्कर्षो में कोई कानूनी भूल नहीं की है, अतः अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13–09–2019 को सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।